अध्याय–2
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

(आर्थिक क्षेत्र)

अध्याय–2

अनुपालन लेखापरीक्षा

विभिन्न सरकारी विभागों, उनके क्षेत्रीय संगठनों और स्वायत्त निकायों के लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के आधार पर, संसाधनों के प्रबंधन में कमियों एवं औचित्य व मितव्ययिता के मानदण्डों के पालन में विफलताओं को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा प्रेक्षण आगामी प्रस्तरों में विस्तृत रुप से दिए गए हैं।

सहकारिता विभाग

2.1 ऋण माफी योजना, 2012 की परिकल्पना एवं कार्यान्वयन

बजट भाषण (जून 2012) के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी जोकि वित्त विभाग के भी मंत्री थे, ने एक ऋण माफी योजना की घोषणा की, जिसमे ऐसे किसानों, जिन्होंने अपनी जमीन को एक निश्चित धनराशि तक ऋण के विरूद्ध बंधक रख दिया था, और अपना ऋण चुकाने में असमर्थ थे, जिससे उनकी भूमि की नीलामी की स्थिति बन सकती थी, को राहत प्रदान की जायेगी, जिसके लिए ₹ 500 करोड़ का प्रारम्भिक प्रावधान किया गया था। तदनुसार, राज्य मंत्रिमण्डल ने 22 नवंबर 2012[1] को एक ऋण माफी योजना (एलडब्ल्यूएस 2012) को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों, जिन्होंने ₹ 50,000 तक का ऋण लिया था, और लिये गये ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत तक मूलधन[2] 31 मार्च 2012 तक जमा कर दिया था, उनके मूलधन एवं ब्याज को माफ करने हेतु ₹ 1,650 करोड़ का प्रावधान किया गया। मंत्रिमण्डल की मंजूरी ने निर्दिष्ट किया कि यह ₹ 1,650 करोड़[3] की धनराशि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) को जारी की जायेगी। इसलिए यह स्पष्ट है कि मंत्रिमण्डल की स्वीकृति केवल उन किसानों के लिए लागू थी जिन्होंने अपनी जमीन यूपीएसजीवीबी के पास बंधक रखी थी। मंत्रिमण्डल हेतु टिप्पणी प्रस्तुत करने के पूर्व, सरकारी विभागों[4] की बैठकों के कार्यवृत्त बताते हैं कि मात्र यूपीएसजीवीबी कृषि भूमि को ऋण के विरूद्ध बंधक रखता है। दूसरे शब्दों में इस योजना का उद्देश्य अन्य बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों[5] सहित), जिन्होने भी छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदान किया था एवं इन ऋणों की भी अदायगी खतरे में होने के परिणामस्वरुप वसूली की कार्यवाही होनी थी, की अनदेखी कर यूपीएसजीवीबी को लाभांवित करना था। यूपीएसजीवीबी के पक्ष में इस तरह के पूर्वाग्रह के प्रयोजन अभिलेखों में दर्ज नहीं है।

इस योजना के पीछे का तर्क प्रश्नीय था क्योंकि यह उन किसानों पर लागू थी जिन्होंने यूपीएसजीवीबी के पास अपनी जमीन गिरवी थी। हालांकि ऋण वसूली के लिए भूमि की नीलामी की प्रथा वर्ष 2007 से बन्द की जा चुकी थी। अतः, योजना का उद्देश्य अन्य बैंकों को छोड़कर यूपीएसजीवीबी को लाभान्वित करना था।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में ही ऐसे किसानों, जिनके पास 3.125 एकड़ तक जमीन हो, उनके विरूद्ध भूमि की नीलामी के माध्यम से ऋण की वसूली की कार्यवाही प्रतिबंधित कर दी थी (दिसम्बर 2007), भले ही उन्होंने ₹ एक लाख तक या अधिक का ऋण लिया हो। इसलिए, इस योजना का तर्क प्रश्नीय है।

---

1 जो कि सहकारिता विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2012 को प्रारम्भ की गई।

2 इस शर्त को बाद में संशोधित कर (अप्रैल 2013) सरकारी सहायता अनुदान, पूर्व में दी गयी ऋण माफी, लाभांश एवं बीमा दावों को शामिल कर लिया गया।

3 उ0प्र0 सरकार ने बाद में इस सीमा को बढ़ाकर ₹ 1,788 करोड़ कर दिया (सितम्बर 2014 से मई 2015)।

4 मुख्य सचिव, उ0प्र0 सरकार, प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, प्रमुख सचिव, राजस्व, प्रमुख सचिव–II, वित्त, विशेष सचिव, सहकारिता, प्रबंध निदेशक, यूपीएसजीवीबी, अतिरिक्त निदेशक, संस्थागत वित्त द्वारा दिनांक 31.05.2012 को भाग लिया गया।

5 इसमें 52 जिला सहकारी बैंक शामिल हैं जिनकी प्रदत्त अंशपूंजी की 90.74 प्रतिशत धनराशि उ0प्र0 सरकार द्वारा निवेशित है। (स्रोत : उ0प्र0 सरकार के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे)।

यह योजना मई 2015 तक यूपीएसजीवीबी को ₹ 1,788 करोड़ अवमुक्त करने के साथ पूर्ण कर ली गयी, जिसके विरूद्ध 7,58,579 लाभार्थियों के संबंध में ₹ 1,783.79 करोड़[6] के ऋण माफ किये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा राज्य के 75 जिलों में से 17 जिलों की नमूना जाँच की गयी जहाँ आयुक्त व निबंधक के कार्यालयों के मुख्यालय सहित, एवं सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक (एसी एण्ड एआर)/संयुक्त आयुक्त व संयुक्त निबंधक (जेसी एण्ड जेआर) के कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गयी। राज्य में 17 चयनित जिलों में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) की कुल 395 शाखाओं (7,58,579 उधारकर्ताओं) में से 91 शाखाओं (1,95,524 उधारकर्ताओं) की सूचनाओं/अभिलेखों की भी नमूना जाँच एसी एण्ड एआर/जेसी एण्ड जेआर के कार्यालय के माध्यम से की गयी थी।

मुख्यतः चार प्रेक्षण हैं, एवं उनमें से अधिकतर ऐसी प्रकृति के हैं जोकि अन्य जिलों/यूपीएसजीवीबी की शाखाओं में समान त्रुटियों/चूकों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किये गए। इसीलिए विभाग यूपीएसजीवीबी की अन्य सभी शाखाओं की आंतरिक जाँच करा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया सके कि वे आवश्यकताओं एवं नियमों का अनुपालन करते हैं।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियों को देखा।

✓ यह योजना केवल उन ऋणों पर लागू थी, जो कि 31 मार्च 2012 के पूर्व विद्यमान थे। तथापि, लेखापरीक्षा नमूना जांच में ऐसे ऋणों की माफी के उदाहरण[7] भी पाये गए जोकि यूपीएसजीवीबी द्वारा जनवरी 2012 से मार्च 2012 के दौरान वितरित किये गये थे। इस तरह की माफी ने मंत्रिमण्डल की स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन किया, क्योंकि ऋण लेने के तीन माह के अन्दर यह आंकलन करना संभव नहीं था कि ऋण पुनर्भुगतान न किये जाने के जोखिम के अन्तर्गत थे जिससे किसानों की बंधक भूमि की आपात बिक्री की स्थिति बने। विभाग यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि यूपीएसजीवीबी ने ऐसे ऋणों, जोकि योजना के अन्तर्गत नहीं थे, को माफ करने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं किया।

कट–ऑफ तिथि में संशोधन के कारण राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त भार

ब्याज की माफी की कट–ऑफ तिथि को परिवर्तित करने के कारण, सरकार को ₹ 138 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

प्रारम्भिक रूप से राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित योजना मात्र 31 मार्च 2012 तक अवशेष मूलधन एवं उस पर ब्याज को माफ करने हेतु बनायी गयी थी। यूपीएसजीवीबी के अनुरोध पर (फरवरी 2013/अप्रैल 2013), विभाग ने (अप्रैल 2013) कट–ऑफ तिथि में संशोधन कर ब्याज की माफी को मार्च 2012 के स्थान पर उ0प्र0 सरकार द्वारा यूपीएसजीवीबी को धनराशि अवमुक्त किये जाने की तिथि तक कर दिया। तदनुसार, उ0प्र0 सरकार ने यूपीएसजीवीबी को ₹ 138 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि भुगतान की। लेखापरीक्षा ने पाया कि किश्तों को विलंब से अवमुक्त करने के लिए यूपीएसजीवीबी स्वयं जिम्मेदार था, क्योंकि उसके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (जोकि आगामी किश्तों को जारी करने के लिए अनिवार्य थे) एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण नीचे **तालिका 2.1** में दिये गये हैं:

[6] जून 2018 तक यूपीएसजीवीबी से ₹ 4.21 करोड़ की धनराशि वापसी हेतु लम्बित है।

[7] ₹ 20.40 लाख धनराशि की माफी के 97 प्रकरण।

तालिका 2.1
यूपीएसजीवीबी द्वारा धनराशि अवमुक्त करने एवं उसके उपयोग का विवरण

तिथि	धनराशि (₹ करोड़ में)	धनराशि अवमुक्त करने के बीच समयान्तर	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
17.01.2013	450.00		19.02.2013	
30.03.2013	450.00	2 माह	22.06.2013	03.09.2013
04.09.2013	375.00	5 माह	10.07.2014	
22.11.2013	375.00	2 माह	10.07.2014	
10.09.2014	129.00	10 माह	04.04.2015 (₹ 70.42 करोड़) 03.02.2017 (₹ 58.58 करोड़)	
27.05.2015	9.00	8 माह	27.04.2017 (₹ 5.12 करोड़)	

(**स्रोतः** सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उत्तर में सरकार ने कहा (जून 2018) कि यदि कट–ऑफ तिथि को परिवर्तित नहीं किया गया होता तो ऋण खाते बन्द नहीं होते तथा योजना का उद्देश्य विफल हो जाता। पहले से ही ऊपर दिये गये कारणों से उत्तर स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा कट–ऑफ तिथि में इस संशोधन के परिणामस्वरूप यह कभी समाप्त न होने वाली योजना बन गयी क्योंकि यूपीएसजीवीबी ने तब तक ऋणों पर ब्याज लगाया जब तक कि ऋण समाप्त नहीं हो गये।

अपात्र लाभार्थियों को ऋण माफी का लाभ

16,184 अपात्र लाभार्थियों को भी ₹ 79.67 करोड़ की ऋण माफी का लाभ दिया गया।

यद्यपि इस योजना में निर्धारित किया गया कि उन किसानों, जिन्होंने मूलधन[8] का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान कर दिया था, को योजना में आच्छादित किया जाएगा परन्तु यूपीएसजीवीबी ने 10 प्रतिशत की सीमा में ब्याज के भुगतान को भी शामिल कर लिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह सहकारिता विभाग द्वारा इस विषय पर जारी किये विशिष्ट स्पष्टीकरण (अप्रैल 2013) के विपरीत था। नमूने के 17 जिलों की लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि परिणामस्वरूप ₹ 79.67 करोड़ का लाभ तीन से 18 प्रतिशत अपात्र लाभार्थियों (16,184 ऋणी) को दिया गया था, जिन्होंने ऋण के मूलधन का 10 प्रतिशत से कम भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि यूपीएसजीवीबी द्वारा तैयार की गई लाभार्थियों की सूची के सत्यापन हेतु गठित जिला स्तरीय समितियां[9] लाभार्थियों की सूची को सत्यापित करने एवं उनकी पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन करने में विफल रहीं हैं। यदि ऐसा कर लिया जाता तो अपात्र लाभार्थी योजना से लाभान्वित नहीं हो पाते।

अपने उत्तर में विभाग ने कहा (जून 2018) कि लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए ब्याज के भुगतान को शामिल करना योजना के अनुसार था। ऊपर दिये गये तथ्य की वजह से उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

ऋण माफी योजना की 100 प्रतिशत लेखापरीक्षा कराने के आदेशों का गैर–अनुपालन

प्रारम्भिक रुप से, योजना में ऋण माफी योजना के 10 प्रतिशत अभिलेखों की लेखापरीक्षा मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा जून 2015 तक किया जाना प्रावधानित था। चूंकि प्रारम्भिक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने यूपीएसजीवीबी द्वारा योजना के कार्यान्वयन में ₹ 4.76 करोड़

[8] अप्रैल 2013 के उ0प्र0 सरकार के आदेश द्वारा संशोधित परिभाषा (फुटनोट 2 संदर्भित करता है)।

[9] सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), एसी एण्ड एआर (सहकारिता) और प्रबंध निदेशक, यूपीएसजीवीबी द्वारा नामित यूपीएसजीवीबी के एक अधिकारी को सम्मिलित करके।

यूपीएसजीवीबी की लेखापरीक्षा में गंभीर आपत्तियाँ पाये जानें के कारण, विभाग द्वारा 100 प्रतिशत लेखापरीक्षा का आदेश दिया गया था, जोकि चार साल से अधिक समय के बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया था।

की गम्भीर विसंगतियों[10] को चिन्हांकित किया (सितम्बर 2013), विभाग ने आयुक्त एवं निबंधक (सी एण्ड आर) को योजना की 100 प्रतिशत लेखापरीक्षा सुनिश्चित कराने का आदेश दिया (मार्च 2014)। लेखापरीक्षा ने पाया कि चार वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी (जून 2018) शत–प्रतिशत लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस लेखापरीक्षा को कराये जाने में विफलता के लिए वित्त विभाग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जोकि सहकारिता विभाग के लगातार अनुसरण के बाद भी औपचारिक स्वीकृति देने में विफल रहा।

योजना के माध्यम से यूपीएसजीवीबी को सहायता

✓ लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के कार्यान्वयन की अवधि को छोड कर (2012–13 से 2015–16) यूपीएसजीवीबी वर्ष 2011–12 एवं 2016–17 के दौरान हानि में था, जैसा कि **तालिका 2.2** से स्पष्ट है:

तालिका 2.2
यूपीएसजीवीबी का वर्षवार लाभ/हानि विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं0 सं0	**विवरण**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1	ऋण	4,359.37	4,244.04	3,962.74	3,679.03	3,967.67	3,948.47
	वसूली	669.02	1,188.45	1,151.34	571.66	474.97	375.31
	समायोजन	0.02	0.02	0	48.21	0.07	0.03
	अवशेष धनराशि	3,690.03	3,055.56	2,811.40	3,059.17	3,492.61	3,573.13
2	ऋण पर अर्जित ब्याज	295.62	562.62	602.58	353.93	271.31	193.03
3	**वर्ष के लिए लाभ**	**-64.87**	**81.79**	**18.11**	**20.00**	**15.16**	**-26.96**

(**स्रोतः** सहकारिता विभाग के माध्यम से यूपीएसजीवीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इससे यह स्पष्ट है कि इस योजना ने विशेष रूप से यूपीएसजीवीबी की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है।

✓ लेखापरीक्षा ने पाया कि इस योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन में हितों के टकराव अन्तर्निहित थे क्योंकि दिसम्बर 2012 तक प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग ने यूपीएसजीवीबी के अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात्, कार्यान्वयन अवधि के दौरान मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग ने बैंक[11] का नेतृत्व किया।

उत्तर में, सरकार ने अवगत कराया (जून 2018) कि योजना के उद्देश्यों को छोटे एवं सीमांत किसानों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था जिन्होंने कृषि भूमि को बंधक रखकर ₹ 50,000 तक का ऋण लिया था, न कि यूपीएसजीवीबी की सहायता के लिए। उपरोक्त दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है।

---

[10] ब्याज की त्रुटिपूर्ण गणनाः ₹ 13,35,073; बही–लेखों तथा लाभार्थी सूची में दिखाये गये मूल–शेषों में अन्तरः ₹ 6,90,134; अपात्र किसानों को दी गयी माफी का लाभः ₹ 38,33,437; लाभार्थी सूची में किसानों के नाम दुबारा शामिल किया जानाः ₹ 6,14,201; उन्हीं किसानों को दो खातों में ऋण माफी का लाभ दिया जा रहा थाः ₹ 6,87,684; अन्य अनियमिततायेंः ₹ 1,02,19,586; ₹ 2.99 करोड़ की धनराशि जोकि 31.03.2012 के बाद किसानों द्वारा पुनर्भुगतान की गयी, बैंक द्वारा किसानों को वापसी हेतु दिखाया था परन्तु यह वापसी हेतु लंबित था; और ₹ 3.05 लाख, 31.03.2012 के बाद किसानों द्वारा पुनर्भुगतान की गयी धनराशि, जिसे बैंक द्वारा किसानों को वापसी हेतु नहीं दिखाया गया था।

[11] सितंबर 2007 से जनवरी 2013 के मध्य, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग ने प्रशासक, यूपीएसजीवीबी का प्रभार संभाला क्योंकि इस अंतरिम अवधि के दौरान यूपीएसजीवीबी में कोई भी चुनाव नहीं हुआ था।

वन विभाग

2.2 प्रीमियम तथा पट्टा किराया की वसूली न होने के कारण हानि

शासनादेश का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रीमियम, पट्टा किराया और ब्याज, कुल ₹ 81.18 लाख की वसूली न हो पाना।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रम्हवेत्ता श्री देवरहा हंस बाबा ट्रस्ट (पट्टेदार) को मिर्जापुर जिले में पाँच हेक्टेयर वन भूमि 30 वर्ष के लिये पट्टे पर आश्रम के निर्माण के लिए दी (अगस्त 2008)। लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2017) कि :

- शासनादेश में वर्णित होने के बावजूद वन विभाग ने पट्टेदार के साथ पट्टा विलेख आज तक निष्पादित नहीं किया है।

- यद्यपि शासनादेश में यह निर्धारित था कि भूमि के मूल्य, जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर पर निश्चित किया जायेगा, के बराबर प्रीमियम पट्टेदार द्वारा जमा करने के उपरान्त ही भूमि पर कब्जा दिया जायेगा, फिर भी पट्टेदार भूमि मूल्य का भुगतान किये बिना ही भूमि पर काबिज है।

- शासनादेश में प्रीमियम मूल्य का 10 प्रतिशत वार्षिक पट्टा किराया लगाया जाना प्रावधानित होने के बावजूद पट्टेदार पर आज तक कोई पट्टा किराया नहीं लगाया गया।

- प्रभाग ने भूमि के हस्तान्तरण के बाद से तीन साल (2008 से 2010) के लिये प्रीमियम तथा पट्टा किराया की वसूली के लिये जिलाधिकारी (डी0एम0) को एक वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया (जनवरी 2011)। हालाँकि, प्रभागीय वनाधिकारी (डी0एफ0ओ0) ने प्रकरण को शासन स्तर पर विचाराधीन बताते हुए डी0एम0 से वसूली पर आगे कार्यवाही न करने का अनुरोध किया (मार्च 2011)।

पट्टा विलेख अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है (अगस्त 2018), तथा प्रीमियम, पट्टा किराया और उन पर ब्याज के कारण कुल ₹ 81.18 लाख[12] वसूल होने से रह गये हैं। भविष्य में यह प्रतिवर्ष बढ़ता रहेगा।

शासन/विभाग ने उत्तर में यह कहा (नवम्बर/दिसम्बर 2017) कि वसूली प्रक्रिया को रोकने का प्रभाग का निर्णय नियमों के अनुसार नहीं था तथा, इसलिए, प्रीमियम एवं पट्टा किराया की वसूली पुनः आर0सी0 के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक तथा डी0एफ0ओ0 को निर्देश दे दिये गये हैं। तथ्य यह है कि प्रभाग ने पट्टा विलेख हस्ताक्षरित किये बिना तथा प्रीमियम व पट्टा किराया का भुगतान सुनिश्चित किये बिना भूमि का हस्तान्तरण कर दिया। इस प्रकार, प्रभाग राज्य सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन के अपने कथनानुसार डी0एफ0ओ0 ने आर0सी0 को वापस लेकर अनियमित रूप से काम किया, फिर भी उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

अनुशंसाः

विभाग को पट्टेदार द्वारा प्रीमियम एवं पट्टा किराये का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को डी0एफ0ओ0 द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरु करने पर भी विचार करना चाहिए।

---

[12] प्रीमियमः ₹ 26.88 लाख, वर्ष 2008 से 2017 तक 9 वर्षों के लिये पट्टा किरायाः ₹ 24.21 लाख, ₹ 20.18 लाख की प्रीमियम पर ब्याज की हानि, और ₹ 9.91 लाख के पट्टा किराया पर ब्याज की हानि (जिस दर पर राज्य सरकार केन्द्र सरकार से उधार लेती है उसी दर पर गणना की गयी है)

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

2.3 ब्याज की परिहार्य हानि

आटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण यूपीनेडा को ₹ 5.61 करोड़ की ब्याज हानि।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान वृहद् कोष भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त किया जिसे चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर वाले तीन[13] बचत बैंक खातों में रखा गया था। अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान, यूपीनेडा ने तीनों बचत बैंक खातों में अत्यधिक निष्क्रिय शेष बनाये रखा जो कि ₹ 80.99 करोड़ से ₹ 479.95 करोड़ के बीच था[14]। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीनेडा ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाकर 5.25 से 6 प्रतिशत तक ब्याज अर्जित कर सकता था, परन्तु ऐसा न करने के कारण यूपीनेडा को अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 5.61 करोड़ के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण का अनुपालन करते हुए यह सूचित किया (सितम्बर 2017/दिसम्बर 2017) कि इन बैंकों को ऑटो–स्वीप सुविधा प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

ऊर्जा विभाग

2.4 विद्युत शुल्क की वसूली न हो पाना

निदेशक, विद्युत सुरक्षा, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कराने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क और उस पर ब्याज, कुल ₹ 19.38 करोड़ की वसूली न हो सकी।

उ0प्र0 विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 (अधिनियम) लाइसेन्स धारकों को उपभोक्ताओं को बेची गयी ऊर्जा पर विद्युत शुल्क (ई0डी0) लगाने तथा निर्धारित समय[15] के भीतर उसे राज्य सरकार के पास भेजने के लिये निर्देशित करता है। ऐसा करने में विफलता लाइसेंस धारकों को 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी बनाता है। न भुगतान किये गए विद्युत शुल्क और दण्डात्मक ब्याज भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निदेशक, विद्युत सुरक्षा को विद्युत निरीक्षक के रूप में दर्शाया गया है। विद्युत (शुल्क) नियम, 1952 की शर्तों के अनुसार, निदेशालय को लाईसेन्स धारकों द्वारा भुगतान की गई ई0डी0 की निगरानी तथा सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पड़ताल सौंपी गयी है।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डी0वी0वी0एन0एल0) ने 20 वर्षों की अवधि के लिए वितरण फ्रेंचाइजी (डी0एफ0) के रूप में आगरा शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिये टोरण्ट पॉवर लिमिटेड (टी0पी0एल0) के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित किया (मई 2009)।

---

13 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (खाता सं.–2185286335), इलाहाबाद बैंक (खाता सं.–200107286631) तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (खाता सं.–10070353437)।

14 ₹18.06 करोड़ से ₹ 92.15 करोड़ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में, ₹ 41.53 करोड़ से ₹ 181.20 करोड़ इलाहाबाद बैंक में तथा ₹ 9.06 करोड़ से ₹ 232.75 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में।

15 जिस माह में मीटर रीडिंग रिकार्ड की गई है उसके अन्त से दो माह के भीतर, जैसा कि नियमों में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबन्ध, ई0डी0 अधिनियम का उल्लंघन करता है क्योंकि यह टी0पी0एल0 को ग्राहकों से वसूली के उपरान्त ई0डी0 भुगतान के लिये अनुमति देता है न कि बिक्री के समय। टी0पी0एल0 ने अप्रैल 2010 से मार्च 2017 के दौरान राज्य सरकार को देय ₹ 285.42 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 273.01 करोड़ की ई0डी0 जमा की। ₹ 8.50 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज के विरूद्ध टी0पी0एल0 ने केवल ₹ 1.53 करोड़ भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.38 करोड़ (₹ 12.41 करोड़ न भुगतान की गयी ई0डी0 और ₹ 6.97 करोड़ ब्याज) वसूल होने से रह गये।

निदेशालय ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2017) कि टी0पी0एल0 ने उपभोक्ताओं को बेची गयी विद्युत के आधार पर ई0डी0 का भुगतान करने हेतु, जैसा कि अधिनियम में प्रावधानित है, अनुबन्ध में संशोधन से सहमत होने से इंकार कर दिया (अक्टूबर 2011)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विधायिका के अधिनियम के विरूद्ध कोई अनुबन्ध नहीं हो सकता है। जब राज्य की डिस्काम्स निरपवाद रुप से बिक्रीत ऊर्जा के आधार पर विद्युत शुल्क जमा कर रही हैं, तब एक डिस्काम की फ्रेंचाइजी इससे अन्यथा कृत्य नहीं कर सकती।

प्रकरण को विभाग के संज्ञान में लाया गया (अगस्त 2017); लेकिन सितम्बर 2017 और जनवरी 2018 को उन्हें भेजे गए अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।